# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 128/2017 राजस्व अपील

1. रमेश पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी तह0 सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.09.2015 न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा प्रकरण सं. 27/2015 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांकः 12.03.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2072 में ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 17/2 रकबा 02 बीघा पर खरीफ फसल की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.09.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके से अतिक्रमण नही हटाये जाना एवं संवत 2072 फसल खरीफ मे पुनः अतिक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होना बताते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांक 08.09.2015 पारित कर दिया। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मु.न. 27/2015 सरकार बनाम रमेश में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा अपीलान्ट द्वारा निर्णय दिनांक 18.05.2015 पारित कर अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा स्थगित की गई थी। अब पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संवत 2072 में भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 08.09.2015 पारित कर सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा संवत 2072 में ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 17/2 रकबा 02 बीघा पर खरीफ फसल की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 08.09.2015 को अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट अतिकमी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष एक अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 47/2015 राजस्व अपील में निर्णय दिनांक 18.05.2015 पारित कर अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर से अतिकमण हटाने व भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये थे, परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की पालना न करने पर पुनः अपीलान्ट को अतिकमी मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा आदेश दिनांक 18.02.2015 को यथावत रखा गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 128/2017 राजस्व अपील

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पुनः निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत राजकीय चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 17/2 रकबा 02 बीघा पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.2015 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा